राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

कमांक प.34(6)चि.स्वा. / ग्रुप–2 / 2014 जयपुर, दिनांक : 15.09.2014

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.01.2014 के अतिकमण में निःशुल्क जांच एवं दवा योजना को बेहतर बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:–

1.	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	अध्यक्ष
2.	निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर	सदस्य सचिव
3.	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सदस्य
4.	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, फार्माकोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सदस्य
5.	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पैथोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सदस्य
	<u>अनुभवी सेवानिवृत्त चिकित्सक के रूप में</u>	
6.	प्रधानाचार्य, आर. यू. एच. एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सदस्य
7.	डा. जे. पी. ऋषि, आचार्य (सेवानिवृत्त)	सदस्य

कमेटी की बैठक इसी माह (सितम्बर 2014) आयोजित किया जाना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,
15/9/2014
(महावीर सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
5. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन. एच. एम. एवं विशिष्ठ शासन सचिव
6. प्रबन्ध निदेशक, आर. एम. एस. सी. एल., जयपुर
7. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर
8. निदेशक, एडस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर
9. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर
10. आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, फार्माकोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जयपुर
11. आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पैथोलोजी मेडिकल कॉलेज, जयपुर
12. प्रधानाचार्य, आर. यू. एच. एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर
13. डा. जे. पी. ऋषि, आचार्य (सेवानिवृत्त)
14. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव